भारत सरकार

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो)

(पुर्व नाम विस्फोटक विभाग)

चेतावनी

भारत सरकार के विज्ञापन संख्या G.S.R.-682 (E) दिनांक 5.10.1999 के अनुसार समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि लडी माला सहित ऐसी आतिशबाजी जिसकी ध्वनिस्तर 125 db (A1) से अधिक हो, उसका उत्पादन, विक्रय तथा प्रयोग पहले से ही प्रतिबंधित किया जा चुका है . इस प्रकार की आतिशबाजी का उत्पादन , विक्रय तथा प्रयोग गैर कानूनी है और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जावेगा वह नियमानुसार दंड का अधिकारी होगा.

दीपावली त्यौहार में सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित सावधानियां बरती जायें,

करें

* केवल, माननीय सुप्रीम कोर्ट के विनिर्देशो के अनुपालन में किसी विश्वसनीय अनुज्ञप्तिधारक व्दारा विनिर्मीत आतिशबाजी ही खरीदे.
* हमेशा वयस्क व्यक्ति के निर्देशन में ही आतिशबाजी का प्रयोग किया जाएं.
* आतिशबाजी पर अंकित सुरक्षा उपायों का कडाई से पालन किया जाएं.
* आतिशबाजी को सुलगाने हेतु मोमबत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जाएं.
* प्रारंभिक छुटपुट आग को, बुझाने हेतु हमेशा पानी से भरी बाल्टी तैयार रखे.
* हवाई आतिशबाजी को हमेशा सुरक्षित भूमि क्षेत्र में ही छुटाएं.
* आतिशबाजी को पानी मे सही प्रकार से भिगोकर ही फेंकें.

न करें

* बस्टिंग पाइंट से 4 मीटर की दूरी पर जलाने पर जिन आतिशबाजीयों का ध्वनीस्तर 125 डिबी (ए1) या 145 पीके से अधिक है उनका निर्माण, बिक्री या उपयोग प्रतिबंधित है. एकल आतिशबाजी (जिसमें एक दुसरे से जुडे हुए पटाखे सम्मेलित है) के लिए, उपरोक्त सीमा 5 लॉग 10 (एन) डीबी से घटाई जाएं, जहां एन. कुल जुडे हुए आतिशबाजी की संख्या के बराबर है.
* रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच में आतिशबाजी न जलाएं.
* हाथ में पकडकर पटाखे ना सुलगाएं, पहले नीचे रखें, फिर उन्हें सुलगाएं तथा वहां से हट जाएं.
* किसी भी आतिशबाजी को सुलगाने हेतु किसी डिब्बे में न रखे.
* सही तरीके से कार्य न करनेवाले किसी भी पटाखे को प्रयोग में न लाएं.
* कभी भी ऐसे स्थान पर हवाई आतिशबाजी न छुटांए जहां पर ऊपर आसमान में जाने के लिए रुकावट हो जैसे पेड, पत्ते, तार इत्यादि.
* खुली इमारत के पास कभी भी हवाई आतिशबाजी न सुलगाएं , खुली खिडकी या खुले दरवाजों से भी हवाई आतिशबाजी अंदर जाकर आग का कारण बन सकती है.
* घरों के भीतर आतिशबाजी का प्रयोग ना करें.
* सार्वजनिक आने-जाने के रास्ते पर पटाखे न जलाएं.
* कभी भी अपने आप पटाखों का निर्माण या उनपर प्रयोग न करें.
* बुझे पटाखे को पुन: जलाने की कोशिश न करें. 15-20 मिनट इंतजार करें तदोपरांत उसे पानी से भरी बाल्टी में डुबों दें.
* नकली व अवैध पटाखों का प्रयोग न करें.
* बच्चों को अकेले पटाखे जलाने की अनुमति ने दें.

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) (पुर्व नाम विस्फोटक विभाग) व्दारा जनहित में जारी